रजिस्टर्ड सं० डी०-222

REGISTERED No. D.-222

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13, 1973/आश्विन 21, 1895

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 1973/ASVINA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Secretariat Library ... 1973 ... of India

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1973

का. नि. आ. 282.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 4 तारीख 4 जनवरी, 1956 के साथ प्रकाशित भारतीय आयुध कारखाना (वर्ग 3 कार्मिकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारतीय आयुध कारखाना (वर्ग 3 कार्मिकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये अक्तूबर, 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का प्रतिस्थापन.**—भारतीय आयुध कारखाना (वर्ग 3 कार्मिकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. पर्यवेक्षक श्रेणी 'ख' के पद में की रिक्तियां निम्नलिखित रीति से भरी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) 20 प्रतिशत सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा।

(ख) 80 प्रतिशत नियम 8 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।

3. **नए नियम 5क का अन्तः स्थापन.**—उक्त नियम के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5क. पर्यवेक्षक श्रेणी 'क' के पद में की रिक्तियां निम्नलिखित रीति से भरी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) 20 प्रतिशत उन अर्हित प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति द्वारा जिन्हें, सरकार के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण स्कीमों के अनुसार भर्ती और प्रशिक्षित किया गया है, जिसके न होने पर सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा।

(ख) 80 प्रतिशत नियम 8 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।"

4. **नियम 6 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियम के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"6. चार्जमैन श्रेणी 2 की श्रेणी में की रिक्तियां निम्नलिखित रीति से भरी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) 20 प्रतिशत उन अर्हित प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति द्वारा जिन्हें, सरकार के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण स्कीमों के अनुसार भर्ती और प्रशिक्षित किया गया है, जिसके न होने पर सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा ।

(ख) 80 प्रतिशत नियम 8 के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा ।"

5. **नियम 13 का संशोधन.**—उक्त नियम के नियम 13 में "नियम 5, 6 और 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "नियम 5, 5क, 6 और 11" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

6. **परिशिष्ट ख का लोप.**—उक्त नियम का परिशिष्ट 'ख' का लोप कर दिया जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी (श्रेणी 3 के कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1956 के नियम 5 के अनुसार ग्रेड 'बी' में पर्यवेक्षकों के खाली पद निम्नलिखित रीति से भरे जाने अपेक्षित हैं :—

(क) 33 1/3 प्रतिशत पद परिशिष्ट 'ख' के उपबन्ध के अनुसार भर्ती किये गये और प्रशिक्षित अर्ह अप्रेंटिसों की नियुक्ति द्वारा ,

(ख) 33 1/3 प्रतिशत पद नियम 8 के उपबन्ध के अनुसार पदोन्नति द्वारा ,

(ग) 33 1/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा ।

2. चार्जमैन ग्रेड 2 के खाली पद निम्नलिखित रीति से भरे जाने अपेक्षित हैं:—

(क) नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार 80 प्रतिशत पद ग्रेड 'ए' के पर्यवेक्षकों की पदोन्नति द्वारा अथवा परिशिष्ट 'ख' के उपबन्धों के अनुसार भर्ती किये गये और प्रशिक्षित चुने हुए अर्ह अप्रेंटिसों की नियुक्ति द्वारा , और

(ख) 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा ।

3. इसी प्रकार, ग्रेड 'ए' में पर्यवेक्षकों के 80 प्रतिशत खाली पद सामान्यतः प्रशिक्षण योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार भर्ती किये गये और प्रशिक्षित अप्रेंटिसों सहित पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तथा 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा ।

4. आल इन्डिया सुपरवाइजर्स एसोसिएशन तथा आल इण्डिया एसोसिएशन आफ एन. जी. ओज. के प्रतिनिधि विगत में समय-समय पर अभिवेदन करते आ रहे हैं कि उनकी पदोन्नति के अवसर सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के कारण अवरूद्ध हो जाते हैं क्यों कि नियमों में जो विकल्प दिया है उसके फलस्वरूप लगभग सभी खाली पर्यवेक्षक अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना के अधीन अप्रेंटिसों द्वारा ही भरे जाते हैं । अतः रक्षा उत्पादन विभाग ने इस विषय पर पुनर्विचार किया और अब यह निर्णय लिया गया है कि 80 प्रतिशत पद विशुद्धतः पदोन्नति कर्मचारियों के लिये रखे जाएं और 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती वालों के लिए । यह भी निर्णय किया गया कि अप्रेंटिसों की पुरानी तकनीकी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भर्ती किए गये तथा प्रशिक्षित अप्रेंटिसों और पर्यवेक्षक 'ए' (परिवीक्षाधीन) व चार्जमैन (परिवीक्षणधीन) के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की नयी योजना के अधीन भर्ती किए गये तथा प्रशिक्षित ग्रेड 'ए' पर्यवेक्षकों और ग्रेड 2 के चार्जमैनों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत कोटे के भीतर ही ले लिया जाएगा । यह निर्णय 1-10-1971 से लागू है और आल इन्डिया एसोसिएशन आफ सुपरवाइजर्स तथा आल इंडिया एसोसिएशन आफ एन. जी. ओज. को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है । इस आशय का एक आश्वासन महाराष्ट्र उच्च न्यायालय को भी दिया गया था ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर जारी की गयी इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के फलस्वरूप किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बी. आर. अंगुराला, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th August, 1973

S.R.O. 282.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Ordnance Factories (Recruitment and Conditions of Service of Class III Personnel) Rules, 1956, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 4. dated the 4th January, 1956, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Indian Ordnance Factories (Recruitment and Conditions of Service of Class III Personnel) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1971.

2. **Substitution of rule 5.**—In the Indian Ordnance Factories (Recruitment and Conditions of Service of Class III Personnel) Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Vacancies in the post of Supervisor Grade 'B' shall be filled in the following manner, namely :—

(a) 20 per cent by appointment of direct recruits.

(b) 80 per cent by promotion in accordance with the provisions of rule 8."

3. **Insertion of new rule 5A.**—After rule 5 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

'5A. Vacancies in the post of Supervisor Grade 'A' shall be filled in the following manner, namely :—

(a) 20 per cent by appointment of qualified trainees recruited and trained in accordance with the training Schemes framed by the Director General with the approval of the Government failing which by appointment of direct recruits.

(b) 80 per cent by promotion in accordance with the provisions of rule 8."

4. **Substitution of rule 6.**—For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Vacancies in the Grade of Chargeman Grade II shall be filled in the following manner, namely :—

(a) 20 per cent by appointment of qualified trainees recruited and trained in accordance with the training Schemes framed by the Director General, with the approval of the Government failing which by appointment of direct recruits.

(b) 80 per cent by promotion in accordance with the provisions of rule 8."

5. **Amendment of rule 13.**—In rule 13 of the said rules, for the words and figures, "rule 5, 6 and 11", the words and figures "rule 5, 5A, 6 and 11" shall be substituted.

6. **Omission of Appendix B.**—Appendix 'B' of the said rules shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

In accordance with Rule 5 of Indian Ordnance Factories (Recruitment and Conditions of Service of Class III Personnel) Rules, 1956, the vacancies in the post of Supervisor Grade 'B' are required to be filled in the following manner :—

(a) 33-1/3 per cent by appointment of qualified apprentices recruited and trained in accordance with the provision of Appendix 'B',

(b) 33-1/3 per cent, by promotion in accordance with the provision of rule 8 ; and

(c) 33-1/3 per cent by direct recruitment.

2. The vacancies in the Grade of Chargeman Grade II are required to be filled in the following manner :—

(a) 80 per cent by promotion of Supervisors, Grade 'A' in accordance with the provisions of rule 8 or by appointment of selected qualified apprentices recruited and trained in accordance with the provisions of Appendix 'B' ; and

(b) 20 per cent by direct recruitment.

3. Similarly, the 80 per cent vacancies in Supervisor Grade 'A' are normally filled by promotion including Apprentices recruited and trained in accordance with the provisions of training schemes and 20 per cent by direct recruitment.

4. The representatives of All India Supervisors Association and All India Association of NGOs have been representing from time to time in the past that their promotion prospects are blocked by the direct recruits because the choice provided in the rules lead to a situation where practically all the vacancies were filled by apprentices under the Supervisory Apprentices Training Scheme. The matter was, therefore, reviewed by the Department of Defence Production and a decision was taken that 80 per cent vacancies should be exclusively earmarked for the promotees and 20 per cent. for the direct recruits. It was also decided that the apprentices recruited and trained under the old Scheme of Technical Training of Apprentices and the Supervisors Grade 'A' and Chargeman Grade II recruited and trained under the new scheme for Technical Training of Supervisor 'A' (On Probation) and Chargeman (On Probation) will be adjusted against the quota earmarked for direct recruits i.e., 20 per cent. This decision is effective from 1-10-71 and has also been communicated to the All India Association of Supervisors and All India Association of NGOs. An assurance to this effect was also given to the High Court of Maharashtra.

5. It is certified that by virtue of the retrospective application of the notification issued above, no one will be prejudicially affected.

B. R. ANGURALA, Under Secy.

(नौसेना शाखा)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1973

का नि. आ. 283.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 235, तारीख 16 जून, 1970 के साथ प्रकाशित नौसेना छुट्टी-विनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का नाम नौसेना छुट्टी (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियमों का संशोधन.**—नौसेना छुट्टी विनियम, 1970 में—

(1) विनियम 8 में, उप विनियम (4) में, खण्ड (3) में, विद्यमान स्पष्टीकरण को **स्पष्टीकरण-1** के रूप संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित **स्पष्टीकरण** अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 2.—ऐसे मामले में जहां अधिक ठहराव की अवधि को अगले वर्ष की छुट्टी हकदारी में समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, वहां उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को, आवश्यक समायोजन करने के लिए, अनुपात में उपयुक्त किया गया माना जाएगा । अगले वर्ष में अनुकंपा के आधारों पर छुट्टी की मंजूरी, यदि आवश्यक हो, तो विनियम 36 के अधीन बरती जाएगी ।"

(2) विनियम 35 में,—

(1) उप नियम (3) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अस्पताल से मुक्त होने पर नाविक को सिफारिश की गई बीमारी-छुट्टी, अस्पताल से उसकी मुक्ति की अगली तारीख से प्रारम्भ होगी चाहे वह सीधे, या अपने घर या स्थापन से होकर, घर जा रहा हो ।"

(2) उप-विनियम (6) के उपखण्ड (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अस्पताल से मुक्त होने पर नाविक को सिफारिश की गई बीमारी-छुट्टी, अस्पताल से उसकी मुक्ति की अगली तारीख से प्रारम्भ होगी चाहे वह सीधे, या अपने घर या स्थापन से हो कर घर जा रहा हो ।"

(3) उप-विनियम (4) में खण्ड (2) के उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित **स्पष्टीकरण** अन्तःस्थापित किया किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—ऐसे मामलों में जहां अधिक ठहराव की अवधि को अगले वर्ष की छुट्टी-हकदारी में समायोजित किया जाना अपेक्षित है, वहां उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को आवश्यक समायोजन करने के लिए अनुपात में उपयुक्त किया गया माना जाएगा । अगले वर्ष में अनुकंपा के आधारों पर छुट्टी की मंजूरी, यदि आवश्यक हो, तो विनियम 36 के अधीन बरती जाएगी ।"

(4) उप-विनियम (6) में, खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—ऐसे मामलों में जहां अधिक ठहराव की

अवधि को अगले वर्ष की छुट्टी-हकदारी में समायोजित किया जाना अपेक्षित है, वहां उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को आवश्यक समायोजन करने के लिए अनुपात में उपयुक्त किया गया माना जाएगा । अगले वर्ष में अनुकम्पा के आधारों पर छुट्टी की मंजूरी, यदि आवश्यक हो, तो विनियम 36 के अधीन करती जाएगी ।"

(3) विनियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"44. **विदेशों में शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे या प्रतिनियुक्ति पर गए कार्मिक.**—प्रतिनियुक्ति पर या शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजे गए नौसैनिक कार्मिक को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित विस्तार तक और शर्तों के अधीन रहते हुए छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।"

[नौसेना मुख्यालय फैस सं. एडी/5363/71-72]

सी. पी. रामाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

(Navy Branch)

New Delhi, the 8th July, 1973

S.R.O. 283.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Navy Leave Regulations, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 285, dated the 16th June, 1970, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Navy Leave (2nd Amendment) Regulations 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Amendment of the Regulations.**—In the Navy Leave Regulations, 1970—

(1) in regulation 8, in sub-regulation (4), in clause (iii), the existing Explanation shall be numbered as **Explanation** 1 and after the Explanation as so numbered, the following **Explanation** shall be inserted, namely:—

"Explanation2.—In case where the period of overstayal is required to be adjusted against the following year's annual leave entitlement, the annual leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out the necessary adjustment. The grant of leave on compassionate grounds in the following year, if necessary, shall be dealt with under regulation 36";

(2) in regulation 35,—

(i) to sub-regulation (3), the following Proviso shall be added, namely :—

"Provided that the sick leave recommended to a sailor on discharge from hospital shall commence from the date following the date of his discharge from the hospital, whether proceeding to home direct or via his ship or establishment.";

(ii) to sub-clause (iii) of sub-regulation (6), the following Proviso shall be added, namely :—

"Provided that the sick leave recommended to a sailor on discharge from hospital shall commence from the date following the date of his discharge from the hospital, whether proceeding to home direct or via his ship or establishment."

(iii) in sub-regulation (4), after sub-clause (d) of clause (ii), the following **Explanation** shall be inserted namely :—

"Explanation.—In cases where the period of overstayal is required to be adjusted against the following year's annual leave entitlement, the annual leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out the necessary adjustment. The grant of leave on compassionate grounds in the following year, if necessary, shall be dealt with under regulation 36".

(iv) in sub-regulation (6), after clause (iv), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—In cases where the period of overstayal is required to be adjusted against the following year's annual leave entitlement, the annual leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out the necessary adjustment. The grant of leave on compassionate grounds in the following year, if necessary, shall be dealt with under regulation 36."

(3) for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely :—

"44. **Personnel undergoing courses of instruction or on deputation in foreign countries.**—Naval personnel sent abroad on deputation or on courses of instructions may be granted leave to the extent and subject to the conditions prescribed by the Central Government from time to time."

[NHQ Case No. AD/5365/71-72.]

C. P. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1973

का. नि. आ. 284.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 9 दिसम्बर, 1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को कनानोर छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे ।

[सं. फा. 29/76/सी/एस एण्ड सी/67/2463-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

एस. पी. मदान, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 1973

S.R.O. 284.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 9th December, 1973 as the date on which elections in Cannanore Cantonment shall be held.

[File No. 29|76|C|L&C|61|2463-C|D(Q&C)]

S. P. MADAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973